गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक / /12 दिनांक–

निर्णय–

प्रिंसेज पार्क रेजीडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बनाम मै0 जे0एन0सी0 कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 के मध्य यू0पी0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिका पर दिनांक 23.02.2012 को सुनवाई हेतु याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार एवं मै0 जे0एन0सी0 कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि श्री मोहसिन रईस उपस्थित हुए। मै0 जे0एन0सी0 कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा समयाभाव के कारण दस्तावेज पूर्ण करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु समय माँगा गया है। दोनों पक्षों एवं प्राधिकरण के प्रवर्तन खण्ड के मत को सुनने के उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया :–

1. प्रमोटर के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कॉमन फैसिलिटी आर0डब्ल्यू0ए0 को हस्तान्तरित (ट्रॉसफर) करने हेतु वार्ता चल रही है। अधिकतम दो सप्ताह के अन्दर कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी। निर्धारित अगली तिथि पर ट्रॉसफर किये जाने की प्रगति से अवगत कराया जायेगा।
2. मै0 जे0एन0सी0 कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया है कि आवंटियों से एकत्रित आई0बी0एम0एस0 की धनराशि आर0डब्ल्यू0ए0 को ब्याज सहित एक माह में वापस कर दी जायेगी।
3. अवैध निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अवर अभियन्ता प्रवर्तन खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर किया गया निर्माण शमनीय एफ0ए0आर0 की सीमान्तर्गत है।

उपरोक्त निर्णय के कम में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–14.3.12 को अपरान्ह 3.30 बजे निर्धारित की जाती है।

(एस0सी0 गौड)
सी0ए0टी0पी0 / नोडल अधिकारी

अनुमोदित

25.2.2012

(जे0 सी0 आदर्श)
उपाध्यक्ष / सक्षम प्राधिकारी